राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.2(2)नविवि / सीकर / 2019 जयपुर, दिनांकः– 14 FEB 2020

अधिसूचना

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 90–क की उप धारा (2) के साथ पठित राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजनार्थ के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम–2012 के नियम 2 के खण्ड (ii) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, निम्नांकित सारणी के कॉलम संख्या 2 में वर्णित स्थानीय प्राधिकारियों के क्षेत्र के लिए उनके सम्मुख कॉलम संख्या 3 में वर्णित अधिकारियों को कृषि भूमि को गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग करने की अनुज्ञा प्रदान करने एवं भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के व्ययन पर देने के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत करती है:–

क. सं.	स्थानीय प्राधिकारी का नाम 2	अधिकारी का पद नाम 3
1	नगर परिषद, सीकर	आयुक्त, नगर परिषद, सीकर

शेष नगरीय क्षेत्र में सचिव, नगर विकास न्यास, सीकर द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजनार्थ के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम–2012 के नियम 2 के खण्ड (ii) के तहत प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग किया जायेगा।

भवदीय,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान।
3. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम / द्वितीय / तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
5. आयुक्त, नगर परिषद, सीकर।
6. सचिव, नगर विकास न्यास, सीकर।
7. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान राजपत्र के असाधारण में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम